अति महत्वपूर्ण

संख्या-32/2018/सी0एम0-40/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 27 सितम्बर, 2018

विषय- शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (**GeM**) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (**GeM**) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। उक्त के संबंध में निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये हैं-

क्र0स0	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक
1	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किए जाने के संबंध में	11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	23 अगस्त, 2017
2	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में	12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	25 अगस्त, 2017
3	जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने के संबंध में	21/2017/704/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	30 नवम्बर, 2017
4	जेम (GeM) पर शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु जेम सेल का गठन	19/2017/836/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	28 नवम्बर, 2017
5	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के	12/2018/203/18-2-	27 अप्रैल, 2018

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में	2017-97(ल0उ0)/2016	

उक्त समस्त संदर्भगत शासनादेश शासकीय वेबसाइट **shasandesh.up.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि उच्च स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से आवश्यक सामग्री/सेवायें क्रय नहीं की जा रही है। इनमें कई विभाग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा जेम से क्रय करना तो दूर, उनके द्वारा जेम पोर्टल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

3- जेम प्रणाली के अन्तर्गत एक क्रय केन्द्र पर 03 व्यक्तियों की भूमिका होती है-बायर, कन्साइनी एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी/भुगतान प्राधिकर्ता। इनमें बायर एवं कन्साइनी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं परन्तु आरहण एवं वितरण अधिकारी उससे भिन्न व्यक्ति होता है। अत: प्रत्येक क्रय केन्द्र के सापेक्ष कम से कम दो पंजीयन होने से ही समस्त कार्यालयों में जेम के आच्छादन को पूर्ण माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जेम पोर्टल पर सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत संबंधित जनपद के उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को शासनादेश संख्या-483/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 02 मई, 2018 द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके उपरान्त भी कदाचित विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में प्रायमरी/सेकेण्डरी यूजर्स का जेम पोर्टल पर शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों / कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों के संबंधित प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी के सापेक्ष कम से कम दो यूजर (प्रायमरी या सेकेण्डरी) का जेम पोर्टल पर शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं इस संबंध में मासिक बैठक सुनिश्चित करते हुये प्रगति आख्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-32/2018/सी0एम0-40 (1)/18-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
2- प्रभारी, जेम सेल, लखनऊ ।
3- समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त, उद्योग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in